# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

**अपील संख्या 115/2018** **दायरा दिनांक : 06.07.2018**

**उनवान**

बापुपूरी आ0 रामापुरी, जाति गुसाई, निवासी जेताखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड (राजस्थान)

.... अपीलांट

**बनाम**

1— नन्दलाल आ0 बापुपूरी, जाति गुसाई, निवासी जेताखेड़ी, तहसील पिडावा, जिला झालावाड मृतक जरिये विधिक वारिसान :—

1/1— सीता बाई — पत्नी

1/2— राकेश — पुत्र

2— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिडावा, जिला झालावाड (राजस्थान)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

**निर्णय** **दिनांक : 17.05.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या — 1123/2015 निर्णय दिनांक 21.06.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम जेताखेडी, तहसील पिडावा की आराजी संवत 2017–74 की खाता संख्या नई 51 की खसरा नम्बर 131 रकबा 1 बिस्वा प्रतिवादी के नाम है जिसका कब्जा गांववासियों के सामने प्रतिवादी ने वादी को संभला दिया था तब से यह आराजी उसके उपयोग उपभोग की होने से प्रार्थी के विरूद्ध व्यादेश चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा सहमति नहीं दी गई है और सीधे ही निर्णय पारित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है । प्रथम दृष्टया राजस्व अभिलख में कही पर प्रार्थी का नाम खातेदारी में अंकित नहीं है व किसी भी प्रकार से उसके बताये अनुसार वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही है जिस कारण राज्य की मंशा भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं रही है । वाद में लम्बित वादग्रस्त प्रश्नों पर साक्ष्य आने पर ही तय होगा जब तक कि प्रार्थी विवादग्रस्त आराजी में उसका किसी भी प्रकार से कोई हक नहीं है न ही उसका केस प्रथम दृष्टया है न सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और न ही उसे अपरिमितक्षति होने की संभावना है । अप्रार्थीगण आराजी के खातेदार काश्तकार होने के कारण उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने उनके द्वारा प्रकरण में उठाये गये तर्कों तथा कानूनी स्थिति को समझने का प्रयास भी नहीं किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय

की जानकारी दिनांक 04.04.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों की रक्षा करते हुए दिया गया निर्णय विधि सम्मत है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.06.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा